बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांकः– 6प०/प०नि०–01/2025/ 1459 /पं०रा० पटना, दिनांक– 30/5/2025

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषयः– **बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर सुरेश कुमार झा, गृह रक्षक संख्या–1119(यू०), बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रिता को ₹15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रूपया) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. स्व० सुरेश कुमार झा, गृह रक्षक संख्या–1119(यू०), दरभंगा की बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर पंचम चरण का चुनाव कराने हेतु दिनांक 23.10.2021 को मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखंड जाने के दौरान चक्कर आने के कारण रास्ते में गिर पड़े। स्थानीय लोगो ने नजदीकी डॉक्टर को बुलाकर उनकी जाँच कराई। जहाँ डाक्टर द्वारा उन्हे मृत घोषित कर दिया गया।

3. स्व० सुरेश कुमार झा के आश्रिता को ₹15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रूपया) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने के बिन्दु पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अनुशंसा उनके पत्रांक–1862 दिनांक–15.07.2024 के माध्यम से विभाग को प्राप्त है। जिला पदाधिकारी ने यह भी सूचित किया है कि मृतक के नियंत्री पदाधिकारी, वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–777 दिनांक–03.04.2024 के द्वारा भी अनुग्रह अनुदान हेतु अनुशंसा उन्हें भेजी गयी है।

4. पंचायती राज विभाग के पत्रांक–2440 दिनांक–10.05.2018 और पत्रांक–2325 दिनांक–09.04.2021 तथा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अनुशंसा के आलोक में बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कर्त्तव्य के दौरान स्व० सुरेश कुमार झा, गृह रक्षक संख्या–1119(यू०), दरभंगा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रिता को निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है :–

मृतक का नाम	मृतक के आश्रिता का नाम एवं पता	स्वीकृत राशि
स्व० सुरेश कुमार झा	निलम देवी, (मृतक की पत्नी) ग्राम–रसीयारी, थाना–घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा	₹15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रूपया)

5. यह राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष–2015– निर्वाचन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उप शीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अन्तर्गत विषय शीर्ष '0002.37.01–अनुग्रह अनुदान' इकाई से वित्तीय वर्ष 2025–26 में विकलनीय होगा।

6. इसका माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16–201500109000**2** है।

D:\Dheeraj\2025\Vibha mam\Anugrah anudan\15 lac anugrah anudan\15 lakh anugah anudan swikrityadesh.docx 27

लगातार.......

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुजफ्फरपुर होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जाएगी। राशि की निकासी हेतु पंचायती राज विभाग के द्वारा अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा।

8. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रस्ताव पर विभागीय अनुग्रह अनुदान स्वीकृति समिति की दिनांक–21.05.2025 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्राप्त है। बैठक की कार्यवाही संचिका सं0–6प०/प०नि०–01/2025 में पृष्ठ–40/प० पर रक्षित है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6प०/प०नि०–01/2025 में पृष्ठ–40/प० पर दिनांक 21.05.2025 को प्राप्त है।

11. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–6प०/प०नि०–01/2025 में पृष्ठ–13/टि० पर दिनांक–28.05.2025 को प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश के दोनो पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन,

30/5/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6प०/प०नि०–01/2025/1450 पं०रा० पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6प०/प०नि०–01/2025/1450 पं०रा० पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/5/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6प०/प०नि०–01/2025/1450 पं०रा० पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05 (बजट) को आवंटनादेश निर्गत करने एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश की प्रति सभी संबंधितों को ई–मेल से भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/5/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

2